बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 125 ● नई दिल्ली ● वीरवार 26 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में एक्शन, आरोपी महिला और उसके पति को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली।)दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक फ्लैट में एसी लगवाने के दौरान पड़ोसी के घर में धूल मिट्टी गिरने के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी ने नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए बदसलूकी की। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला स्वाती जैन और उसके पति हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं आरोपी के खिलाफ जोड़ी हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी शख्स व उसकी पत्नी ने मिलकर उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने के अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी।

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के जिक्र पर भड़के सीजेआई, बोले- न्यायिक संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूँगा

नई दिल्ली ।

देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद उस समय खड़ा हो गया जब आठवीं कक्षा की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नयी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों के रूप में भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की कमी का उल्लेख किया गया। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने गंभीर आपत्ति जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।'' उन्होंने कहा, ''संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और संज्ञान लिया है... यह एक सोचा-समझा कदम प्रतीत होता है। मैं यादा कुछ नहीं कहूंगा।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''कृपया कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। अधिवक्ता और न्यायाधीश सभी परेशान हैं। सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेशान हैं। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान के तहत लूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।'' वहीं न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि यह पुस्तक संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने इस विषय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया। उनका कहना था कि जब देश की जनता का इस संस्था पर सबसे अधिक भरोसा है, तब स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाना आपत्तिजनक है। उनका यह भी तर्क था कि पाठ्यपुस्तक में राजनीति, नौकरशाही या कारोबार में भ्रष्टाचार

का उल्लेख नहीं है और केवल न्यायपालिका को निशाना बनाया गया है। हम आपको बता दें कि विवादित अध्याय 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। पहले के संस्करणों में जहां न्यायालयों की संरचना, कार्यप्रणाली और न्याय तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नये संस्करण में व्यवस्था की चुनौतियों पर भी चर्चा की गयी है। 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक खंड में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है और गरीब तथा वंचित वर्गों के लिए इससे न्याय तक पहुंच और कठिन हो सकती है। पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि राज्य और केंद्र स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने तथा तकनीक के उपयोग से सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। पुस्तक में लंबित मुकदमों के आंकड़े भी दिये गये हैं। इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में लगभग 81 हजार मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालयों में लगभग 62.40 लाख और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में करीब 4.70 करोड़ मामले लंबित हैं।

ये आंकड़े न्याय प्रणाली पर बढ़ते बोझ को दर्शाते हैं। पुस्तक में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के जरिये प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख है और बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गयीं। नयी पुस्तक के ''न्यायपालिका में भ्रष्टाचार'' खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। इस अध्याय में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई का कथन भी उद्धृत किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं जन विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, किंतु त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई से इस विश्वास को पुन स्थापित किया जा सकता है। उधर, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि उसे देश भर से फोन आ रहे हैं और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चयनात्मक उल्लेख को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पीठ ने संकेत दिया कि इस विषय पर विस्तृत सुनवाई की जायेगी। देखा जाये तो यह विवाद कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सवाल उठता है कि क्या छात्रों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौतियों से अवगत कराना पारदर्शिता का हिस्सा है या इससे संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है? साथ ही इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता और आलोचना की सीमा पर भी प्रश्न खड़ा हुआ है। वैसे यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती केवल उनको आलोचना से बचाने में नहीं, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने में निहित है। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और सरकार की प्रतिक्रिया इस बहस को नई दिशा दे सकती है।

चार हत्याओं से दहली दिल्ली: सनकी पिता ने तीन मासूम बच्चियों का काट दिया गला, पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला

नई दिल्ली । दिल्ली के समयपुर बादली के चंदन पार्क इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन मासूम बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, आज सुबह समयपुर बादली थाना क्षेत्र के चंदन पार्क के एक मकान में चार लोगों की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वे भी सन्न रह गए। घर के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में तीन छोटी बच्चियों और एक महिला के शव खून से लथपथ पड़े पड़े मिले। सभी के गले पर गहरे घाव थे, जो किसी तेज धार वाले हथियार के थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीमों को घटनास्थल पर बुलाया गया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। जांच में मृतकों की पहचान अनीता (30 वर्ष), पति मुंचन केवट, और उनकी तीन बेटियों (उम्र तीन, चार और पांच वर्ष) के रूप में हुई है। अनीता और उसकी बेटियां बिहार के पटना जिले की मूल निवासी थीं। परिवार दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने वाले मुंचन के साथ इसी पते पर रह रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनीता का पति मुंचन केवट घटना के बाद से ही फरार है और उसे इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पड़ोसियों ने सुबह घर का दरवाजा खुला देखकर और किसी भी हलचल न होने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी पति के बारे में कोई सुराग मिल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जब नेतन्याहू की चौतरफा आलोचना हो रही है तो प्रधानमंत्री नैतिक कायरता दिखाएंगे - कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले बुधवार को आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी वहां नैतिक कायरता का परिचय देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा इजराइल यात्रा के लिए रवाना हुए जहां वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के साथ ही इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 20 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू गाजा में थे और उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी। उन्होंने कहा, वह एक अलग युग था। अब भारतीय प्रधानमंत्री बेशर्मी से इजराइल के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, जिन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है और जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की योजना बना रहे हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तो मोदी नैतिक कायरता प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा पर नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अपने पूरे इतिहास में जो सही है, उसके लिए खड़ा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाना जारी रखना चाहिए।

दिल्ली में नस्लीय टिप्पणी पर सीएम रेखा गुप्ता ने दी सख्त चेतावनी, कहा- राजधानी में भेदभाव बर्दाश्त नहीं, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के साथ हुई नस्लीय टिप्पणी और उत्पीड़न की घटना ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना 20 फरवरी की है, जब मालवीय नगर में किराए पर रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं का उनके पड़ोसियों, हर्ष सिंह और रूबी जैन के साथ घर की मरम्मत को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान पड़ोसियों ने महिलाओं पर नस्लीय फब्तियां कसीं और उन्हें धंधेवाली

(सेक्स वर्कर) कहकर अपमानित किया। घटना के पांच दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम यानी एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं।

सीएम ने कड़े शब्दों में कहा- दिल्ली सबकी है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर में हमारी नॉर्थ-ईस्ट की बहनों के साथ जो बदसलूकी हुई, वह मेरे संज्ञान में आई है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ देश के हर कोने से आए लोगों का समान अधिकार है। नॉर्थ-ईस्ट के भाई-बहन अपनी मेहनत से दिल्ली की तरक्की में योगदान देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही पीड़ित महिलाओं से मिलेंगी और दिल्ली में रह रहे उत्तर-पूर्व के अन्य लोगों की समस्याओं को सुनकर नीतिगत समाधान निकालेंगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने और नस्ल या धर्म के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। मामले की जांच अब एक एसीपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

भाषण या फिल्मों से किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए, घूसखोर पंडत पर अदालत की टिप्पणी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह राज्य का प्रतिनिधि हो या गैर-राज्य अभिनेता, को भाषण, मीम, कार्टून या दृश्य कला के माध्यम से किसी भी समुदाय को बदनाम या अपमानित करना सांविधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने साफ किया कि उच्च सांविधानिक पदों पर आसीन सार्वजनिक हस्तियां, जैसे मंत्री, यदि धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना बनाती हैं तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने अपने अलग निर्णय में की, जो नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडत के शीर्षक को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान से जुड़े विवाद के बीच सामने आई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हिमंत सरमा के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए पक्षकारों को उच्च न्यायालय जाने को कहा था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति भुइयां की पीठ ने निर्माताओं द्वारा फिल्म का शीर्षक बदलने पर मामला बंद कर दिया। हालांकि शीर्षक वापस लिए जाने के बाद औपचारिक निर्णय की आवश्यकता नहीं रह गई थी, फिर भी न्यायमूर्ति भुइयां ने बंधुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सांविधानिक सिद्धांतों को दोहराना आवश्यक बताया ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। अदालत ने दोहराया कि किसी भी माध्यम से किसी समुदाय को अपमानित करना असांविधानिक है। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन सार्वजनिक पदाधिकारियों पर अधिक लागू होता है जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसका अर्थ एक विशेष वर्ग को भ्रष्ट बताने जैसा था।

जो लोग दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं..., राहुल गांधी पर भड़के वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली ।

पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत की एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे के मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया है. इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एआई समिट में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है. उनका आरोप है कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा चार दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर किया जाना इस बात का संकेत है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. जो लोग विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वे आज राजनीतिक रूप से बेनकाब हो चुके हैं. वीरेंद्र सचदेवा ने बयान में राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि उनके इशारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने तीखी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसे कदम कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एआई समिट किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था. उनके अनुसार यह आयोजन भारत की तकनीकी उपलब्धियों और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रदर्शित करने का मंच था. उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि देश के युवा एआई के क्षेत्र में लगातार नए इनोवेशन कर रहे हैं और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य इन्हीं उपलब्धियों को सामने लाना होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोगों की हरकत ने इस सकारात्मक पहल को बाधित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब देश की छवि को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. सचदेवा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी विरोध प्रदर्शन हुए थे. उनका कहना है कि जब-जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, तब-तब ऐसे विवाद सामने आते हैं.

अटूट संकल्प

इस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व मानव जनित त्रासदी यानि आतंकवाद से त्रस्त है। आतंकवाद मानवता, शांति, विकास और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का शत्रु है। आतंकवाद एक ऐसी कट्टरपंथी सोच का परिणाम है जो खुद को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को काफिर मानती है। ऐसी ताकतें लगातार षड्यंत्र रचती रहती हैं। आतंकवाद ने भारत को कई बड़े जख्म दिए हैं। भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होता रहा है। आतंकवाद की कोख से उपजी नहीं केवल घृणा और विनाश जन्म लेता है। पाकिस्तान में सत्ता और नॉन स्टेट एक्टर्स की संधि में कोई अंतर नहीं बचा। आतंकी ताकतों ने हमारे धर्मस्थलों को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद तक को निशाना बनाया गया। मुम्बई हमले में सैकड़ों निर्दोषों की जान चली गई। पुलवामा में हमारे जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। पहलगाम हमले में बेगुनाहों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। यह नैतिक और बर्बरता की पराकाष्ठा थी। जैसे-जैसे देश के लिए खतरों का स्वरूप बदलता रहता है और नई चुनौतियां पेश करता है। उनका सामना करने के लिए देश को नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। गृह मंत्रालय ने जल, थल, नभ खतरों की नई चुनौतियों का आंकलन करने के बाद देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति 'प्रहार' का दस्तावेज जारी किया जो जीरो टॉलरेंस और खुफिया जानकारी के आधार पर नपातुली हिंसा की रोकथाम और उसे बाधित करने पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति है। यह नीति देश के भीतर और बाहर से उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए सात प्रमुख स्तम्भों पर आधारित है। प्रहार का तात्पर्य है भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम, खतरे के अनुरूप और त्वरित प्रतिक्रियाएं देना, समग्र सरकारी दृष्टिकोण में तालमेल हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और 'कानून के शासन' पर आधारित प्रक्रियाएं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना जिसमें कट्टरपंथ भी शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित और आकार देना। समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। पाकिस्तान का नाम लिए बिना, दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सीमा पार आतंकवाद से लगातार खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें जिहादी संगठन और अलकायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक समूह हमलों की योजना बनाने के लिए स्लीपर सेल का उपयोग कर रहे हैं। विदेशों से संचालित चरमपंथी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में हताहतों की प्रकृति को लेकर कोई संकोच नहीं होता। आतंकवादी सभी को साफ्ट टारगेट मानते हैं। छुट्टी पर आए सैनिक हों या निहत्थे पुलिसकर्मी। यहां तक कि बच्चों से भरी स्कूल बसें भी इनके निशाने पर हैं। किसी भी राष्ट्र की आतंकवादी विरोधी नीति अनिवार्य रूप से अतीत में ऐसे मामलों से निपटने के उसके अनुभव और वर्तमान स्थिति पर आधारित होती है। 80 के दशक में हमने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का भयंकर दौर देखा। मैं स्वयं उस परिवार से संबंध रखता हूं जिसने आतंकवाद की बहुत पीड़ा झेली है। पंजाब में धार्मिक अल्पसंख्यकों यानि हिन्दुओं को बसों और ट्रेनों से निकालकर बेरहमी से मार डाला गया तो जम्मू में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए और 90 के दशक में घाटी कश्मीरी पंडितों से खाली हो गई। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी हो गए? और उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की नीति में मूल परिवर्तन आया है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रह गया है। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2023 का ऑपरेशन सिंदूर यह सभी कदम नीति में परिवर्तन का प्रमाण है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी कहीं भी हो उन्हें खत्म किया जाएगा और आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को सहन नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते वर्षों में आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति एवं राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं करने की रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को सिर्फ जारी रखा, बल्कि शासन का स्थायी सिद्धांत बना दिया है। चाहे सीमा पार से आने वाले आतंकी हमले हों या देश के भीतर की कट्टरवादी गतिविधियां मोदी सरकार ने हर स्तर पर साबित किया है कि भारत अब न तो चुप रहेगा और न झुकेगा। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एक ही झटके में खत्म कर आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अब अलगाववादी हुर्रियत कान्फ्रेंस का नामोनिशान नहीं बचा है। आतंकवादी संगठन हाशिए पर है। आतंकवादी वारदातों की संख्या काफी कम हो गई है। आतंकवादी कमांडरों का जीवन बहुत कम रह गया है। हालांकि बचे-खुचे आतंकवादी टारगेट किलिंग में सफल हो रहे हैं लेकिन राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि बाजार गुलजार हैं। पहलगाम की घटना के बाद अब पर्यटन स्थल दोबारा से खुल चुके हैं। हाल ही के महीनों में खुफिया एजेंसियों ने कई राज्यों में रचे जा रहे 10 से ज्यादा बड़ी आतंकी साजिशों पर विराम लगाया है। जैश-ए-मोहम्मद, आईएसआईएस, टीटीपी और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा देश में अंजाम दिए जाने वाले हमलों पर प्रभावी रोक लगी है। देश के भीतर नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। लाल आतंक का गलियारा अब खत्म हो चुका है। नक्सली कमांडर या तो मारे जा चुके हैं और बाकी सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपना अटूट संकल्प पूरा कर दिखाया है। मोदी सरकार ने आतंकवादियों को न केवल सीमाओं पर जवाब दिया गया बल्कि उनकी फंडिंग, नेटवर्क और ठिकानों पर भी निर्णायक वार किया। इस सख्त नीति का परिणाम आंकड़ों में साफ झलकता है। जब सरकार की नीयत साफ हो और नेतृत्व निर्णायक हो, तब आतंक की जड़ें हिलती हैं। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, आधुनिक तकनीक और सशक्त सुरक्षा नीति से आतंकवाद के फन को कुचला जा सकता है। हर भारतीय को राजनीति प्रथम और राष्ट्र प्रथम की मानसिकता रखने वाली सरकारों में अंतर नजर आ रहा है। नया भारत न खामोश बैठता है न झुकता है। आतंकवाद के विरुद्ध नई नीति 'प्रहार' निर्णायक कार्रवाई करने का अटूट संकल्प है।

जब हिन्दी और उर्दू मिलती हैं तो साहिर और नीरज बनते हैं !

समाज का मतलब है साझा अस्तित्व, जैसे भारत में एक ऐसी भूमि, जहां अलग-अलग मान्यताएं एक साथ रहती है, उदाहरण के तौर पर एक ही बर्तन में खाना बनाना और साथ में खाना। मनु और आदम के बीच सभ्यता के रिश्ते की इंसानियत भारत में ही दिखती है। भारत में कोई भी समुदाय विदेशी नहीं है और देश की साझा विरासत कल्चरल राष्ट्रीयता के मेलजोल का जीता-जागता उदाहरण है। सच्ची कामयाबी विनम्रता, सहनशीलता, समझदारी और दूसरों का सम्मान करने में है। युवाओं से सम्मान और बड़ों से दया दिखाने की आवश्यकता है।

गोपाल दास नीरज और साहिर लुधियानवी की टक्कर के शायर इस दौर में दूसरे कोई नहीं रहे, जिन्होंने देशभक्ति, धर्म, भाषाओं और सद्भावनाओं को जोड़ा है। साहिर लुधियानवी (1921-1980) उर्दू के प्रगतिशील शायर और हिंदी सिनेमा के महान गीतकारों में से एक थे। उनका असली नाम अब्दुल हई था। वे अपनी तीखी सामाजिक चेतना, प्रेम की फलाई और ईमान-पसंद नज़्मों के लिए जाने जाते हैं। साहिर प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे। उनकी शायरी में इंकलाबी तेवर, मानवतावाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ साफ़ दिखाई देती है। साहिर ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए। वे उन चुनिंदा गीतकारों में थे जिन्होंने गीतकारों को संगीतकारों के बराबर सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी। साहिर का विश्वास था कि मुहब्बत को केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे धार्मिक कट्टरता, पूंजीवाद और युद्ध के खिलाफ मुखर रहे। उन्होंने अपने गीतों में इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। हिंदी फिल्म जगत में साहिर की कुछ मशहूर पंक्तियां है ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तो क्या है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां हैं। गोपाल दास 'नीरज' (1925-2018) हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि और गीतकार थे। वे मंचीय कविता, गीत और फिल्मी गीतों के माध्यम से जन-जन के प्रिय बने। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावनात्मक गहराई से भरपूर थी। वे हिंदी कैंटर के अतिरिक्त उर्दू समाज में भी सम्य कवि माने जाते थे नीरज की कविता में प्रेम और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नीरज ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए। उन्होंने शंकर-जयकिशन, एस.डी. बर्मन और शंकर-जयकिशन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। प्रेम, विरह, जीवन-दर्शन और मानवीय संवेदनाएं उनकी कविताओं का मूल स्वर थी।

वे कवि सम्मेलनों के सुपरस्टार माने जाते थे। उनकी पंक्तियां सीधे हृदय को छूती है और सहजता में गहरी बात कहती है, जिन में कुछ इस प्रकार है, जिन्होंने उन्हें अमर बनाया, कुछ इस प्रकार है- कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, लिखते हैं खत तुम्हें, फूल के कितने ... दोनों ने कई बार अपनी कविताएं एक मंच से भी कही, जिन में भारतीय धर्म सिखा और नैतिकता में भाषाओं और विशेष रूप से हिंदी और उर्दू द्वारा जुड़ा है, जो सभी जानते हैं। बड़ों की अच्छी सीख मानने से समाज में सदभाव बना रहता है, क्योंकि धर्म सत्य और अहिंसा सिखाता है, लड़ाई नहीं। आपसी मेल-जोल का विषय न सिर्फ भाषा और साहित्य से बल्कि सामाजिक बातचीत भी है जो भारत की मिली-जुली संस्कृति को दर्शाती है। अलग-अलग पीढ़ियों की उर्दू शायरी साझी सभ्यता की भावना को दिखाती है। जिस प्रकार से सद्भाव आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, उसके समय, बल्कि हर समय में रही। चाहे कुछ भी हो जाए विविधता में एकता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और भारत की सभ्यता की एकता के प्रतीक के रूप में रहनी चाहिए, ऐसा ही नीरज और साहिर ने अपने जीवन में दिखाया। जैसे आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया फैंसिंग चर्चाओं पर हावी हो रहे हैं, उनके समय में इनकी शुरुआत हो चुकी थी लेकिन जो सब उनके अनुसार मायने रखता है, वह है सद्भाव। समाज का मतलब है साझा अस्तित्व, जैसे भारत में एक ऐसी भूमि, जहां अलग-अलग मान्यताएं एक साथ रहती हैं, उदाहरण के तौर पर एक ही बर्तन में खाना बनाना और साथ में खाना। मनु और आदम के बीच सभ्यता के रिश्ते की इंसानियत भारत में ही दिखती है। भारत में कोई भी समुदाय विदेशी नहीं है और देश की साझा विरासत कल्चरल राष्ट्रीयता के मेलजोल का जीता-जागता उदाहरण है। सच्ची कामयाबी विनम्रता, सहनशीलता, समझदारी और दूसरों का सम्मान करने में है। युवाओं से सम्मान और बड़ों से दया दिखाने की आवश्यकता है। भारत एक अनोखा देश है जहां सभी धर्मों को आज़ादी और इज्जत मिलती है। उर्दू और हिंदी लंबे समय से मिली-जुली संस्कृति में योगदान देने वाली आम भाषाएं रही हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और सूफी परंपराओं को इस भाषा के सबको साथ लेकर चलने वाले स्वभाव से काफी फायदा हुआ है। नीरज की देशभक्ति भावनात्मक और मानवीय थी। वे भारत को संस्कृति, प्रेम और सह-अस्तित्व की भूमि के रूप में देखते थे। उनके गीतों में राष्ट्र एक संवेदनशील परिवार की तरह दिखाई देता है।

सम्पादकीय...

सेवा, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के द्योतक

प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व एनजीओ दिवस विश्वभर में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने और उनकी भूमिका पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में जब शासन-व्यवस्था जटिल होती जा रही है और सामाजिक चुनौतियाँ बहुआयामी रूप ले चुकी हैं, तब एनजीओ लोकतंत्र की एक सशक्त सहायक शक्ति के रूप में उभरे हैं। भारत में सेवा और लोककल्याण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। 'दान', 'सेवा' और 'परमार्थ' की भावना हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में रची-बसी है। आधुनिक अर्थों में एनजीओ भले ही स्वतंत्रता-उत्तर काल में संगठित रूप से विकसित हुए हों, किंतु उनके बीज समाज-सुधार आंदोलनों में पहले से विद्यमान थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान सामाजिक जागरण की धारा को दिशा देने वाले संगठनों और महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी ने सेवा और स्वावलंबन की जो चेतना जगाई, वही आज के अनेक स्वैच्छिक संगठनों की प्रेरणा है। गांधीजी के 'रचनात्मक कार्यक्रम' ने ग्रामोदय और समाजोदय की जो अवधारणा दी, वह आज भी एनजीओ कार्यप्रणाली का आधार है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक पहुंचना एक चुनौती है। आधुनिक वैश्विक कल्याण संस्थान (ट्रस्ट) जैसे सैकड़ों एनजीओ निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और साक्षरता : वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुँच।स्वास्थ्य सेवाएँ - ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता।महिला सशक्तिकरण- स्व-सहायता समूह, कौशल विकास। पर्यावरण संरक्षण- जल, जंगल, जमीन की रक्षा।मानवाधिकार और सामाजिक न्याय - हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज बनना।ग्रामीण भारत में कार्यरत अनेक संगठन 'सरकार और समाज' के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं। हाल के वर्षों में एनजीओ क्षेत्र पर कई प्रकार के प्रश्न भी उठे हैं। वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी अनुदान विनियमन, और जवाबदेही को लेकर।(एफसीआरए) जैसे कानूनों ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।परंतु यह भी आवश्यक है कि नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे, ताकि वास्तविक सामाजिक कार्य बाधित न हो। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता; वह निरंतर संवाद, सहभागिता और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया है। एनजीओ नागरिक समाज की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकार की नीतियों पर रचनात्मक सुझाव देती है, विसंगतियों को उजागर करती है और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनती है।भारतीय संदर्भ में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमता गहरी है, वहाँ एनजीओ सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। विश्व एनजीओ दिवस केवल प्रशंसा का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममूल्यांकन का भी क्षण है। यह प्रश्न उठाना आवश्यक है।क्या एनजीओ अपने मूल उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं? क्या वे पारदर्शिता और नैतिकता के मानकों का पालन कर रहे हैं? भारत के विकास पथ पर एनजीओ की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि हम किस तरह की संस्कृति विकसित कर रहे हैं? न्यायालय ने पूछा कि क्या राज्यों का काम सिर्फ वेतन देना और मुफ्त उपहार बांटना रह गया है? पीठ ने कहा कि ऐसी नीतियों से लोगों में काम करने की इच्छा खत्म हो रही है और देश का 'वर्क कल्चर' खराब हो रहा है। रेवड़ी संस्कृति देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। फ्री बीज की शुरुआत सन् 1956 से हुई मानी जा सकती है, जब मध्याह्न भोजन योजना पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा शुरू की गई थी। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की 2 रुपए किलो चावल योजना ने आज के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की नींव रखी थी। तेलंगाना की रायथु बंधु और ओडिशा की कालिया योजनाओं ने किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अग्रदूत के रूप में कार्य किया है। दक्षिण भारत से शुरू हुई इस प्रथा को अरविंद केजरीवाल ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसका बाद में दूसरे दलों ने अनुसरण किया।

मुफ्त की रेवड़ी पर बीती 19 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि हम किस तरह की संस्कृति विकसित कर रहे हैं? न्यायालय ने पूछा कि क्या राज्यों का काम सिर्फ वेतन देना और मुफ्त उपहार बांटना रह गया है? पीठ ने कहा कि ऐसी नीतियों से लोगों में काम करने की इच्छा खत्म हो रही है और देश का 'वर्क कल्चर' खराब हो रहा है। रेवड़ी संस्कृति देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। फ्री बीज की शुरुआत सन् 1956 से हुई मानी जा सकती है, जब मध्याह्न भोजन योजना पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा शुरू की गई थी। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की 2 रुपए किलो चावल योजना ने आज के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की नींव रखी थी। तेलंगाना की रायथु बंधु और ओडिशा की कालिया योजनाओं ने किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अग्रदूत के रूप में कार्य किया है। दक्षिण भारत से शुरू हुई इस प्रथा को अरविंद केजरीवाल ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसका बाद में दूसरे दलों ने अनुसरण किया। एक ओर अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ इस प्रथा की आलोचना करते हैं, तो दूसरी ओर कई नेता मतदाताओं के लिए मुफ्त चीजों की वकालत करते हैं। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे और चुनाव अक्सर इस मायने में जुड़े होते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में इसका वादा करते हैं और सत्ताधारी दल अक्सर चुनाव से ठीक पहले उन्हें बांट देते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह जीवन की अच्छी गुणवत्ता से समझौता है, क्योंकि मुफ्त उपहारों की संस्कृति स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान एवं विकास आदि जैसी अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर कम पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। साथ ही यह बजटीय संकट को भी जन्म देती है। 2019 में दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स द्वारा भारत के 543 संसदीय क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार, 42 फीसद से अधिक मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के पीछे उम्मीदवार की कल्याणकारी योजनाओं के बजाय नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण को एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। ताजा मामले में न्यायालय ने चिंता जताई कि अधिकांश राज्य पहले से ही 'रेवेन्यू डेफिसिट' में हैं, फिर भी वे मुफ्त बिजली, राशन और नकदी बांट रहे हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि इस कारण बुनियादी ढांचे यानी सड़क, स्कूल, अस्पताल के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं बचता। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना समझ में आता है लेकिन बिना भेदभाव के सबको मुफ्त सुविधाएं देना 'तुष्टिकरण की राजनीति' है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आखिर रेवड़ियां बांटने का बोझ टैक्स देने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। यदि 'रेवड़ियां' मिलती रहेंगी तो काम कौन करेगा? आखिर हम यह कैसी संस्कृति बना रहे हैं? सरकारों को 'मुफ्तखोरी' के बजाय रोजगार-सृजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बहरहाल सर्वोच्च अदालत ने मौखिक टिप्पणी कर दी और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वे शीर्ष अदालत की बात मानने को बाध्य नहीं हैं। ये 'रेवड़ियां' नहीं हैं, बल्कि कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम कल्याणकारी लोकतंत्र हैं और जनता की मदद करना हमारा फर्ज है। लिहाजा क्षमा के साथ सर्वोच्च अदालत से भी हमारा सवाल है कि वह मौखिक टिप्पणियां क्यों करती है? सिर्फ चिंता व्यक्त करने से क्या होगा? सर्वोच्च अदालत को संविधान ने विशेषाधिकार भी दिए हैं और उनका इस्तेमाल कर अदालत ने फैसले भी सुनाए हैं तो मुफ्तखोरी पर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते? अदालत सरकारों को स्पष्ट निर्देश दे कि चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणा कब करें? 'रेवड़ियों' को भी परिभाषित करें। 11 अगस्त 2022 को रेवड़ी कल्चर पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मुद्दा समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्री बीज की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि फ्री बीज और वैलफेयर के बीच अंतर है।सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से आता है, जिनसे सरकार को लिए गए ऋणों पर ब्याज, रक्षा, अनावर्ती व्यय, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सब्सिडी और जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का भुगतान करने में मदद मिलती है। ये योजनाएं तय होती हैं और सरकार के कुल व्यय का एक हिस्सा इन पर खर्च होता है। जमीनी हकीकत यह है कि देश के राज्यों पर कुल 104 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। देश पर भी 200.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कुछ विशेषज्ञ इसे 225 लाख करोड़ के करीब मानते हैं। इसके बावजूद रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि आम आदमी फ्री बीज नहीं मांगता। रेवड़ियां देश के विकास के लिए खतरनाक हैं। ये अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती हैं। इन कथनों के बावजूद हर दल रेवड़ियां बांटने की होड़ में शामिल है। जिस तमिलनाडु से याचिका शीर्ष अदालत में दी गई थी, उस राज्य पर 10.42 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बंगाल पर 7.90 लाख करोड़ और केरल पर 5.04 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इन राज्यों में इसी साल अप्रैल के बाद चुनाव होने हैं। जानकारों की मानें तो चुनाव से पहले मुफ्त वादों की घोषणा पर लगाम लगाना जरूरी है लेकिन यह आसान नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग को चुनावों के दौरान मुफ्त वाली घोषणाओं की प्रभावी निगरानी और उनके विनियमन को सुनिश्चित करने की जरूरत है। नागरिकों को भी अल्पकालिक लाभ से प्रभावित होने के स्थान पर राजनीतिक दलों के दीर्घकालिक विकास एजेंडे के आधार पर मतदान के समय देशहित में निर्णय लेने के लिए शिक्षित किए जाने की जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए फ्री बीज पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय, राजनीतिक दलों को सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन और व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ताकि सामाजिक, आर्थिक असमानता के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। रेवड़ी कल्चर एक चुनावी हथकंडा है जो तात्कालिक लाभ देने के बावजूद दीर्घकालिक रूप से देश की आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। आज राजनीतिक दलों को मुफ्त की घोषणाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विकास योजनाओं की दिशा में काम करने की जरूरत है।

वर्चस्व को नकारना भारतीय संघ का स्वधर्म है

अकेंद्रित सत्ता, साझा प्रभुत्व और गठबंधन आधारित शक्ति ही हमारे समाज का स्वधर्म रहा है। भारतीय संविधान में संघ या यूनियन की अवधारणा को इस रौशनी में देखना उचित होगा। यह यूरोप-अमरीका की काट का फैडरेशन नहीं है। भारतीय संघ में सत्ता का बंटवारा पश्चिमी फैडरेशन से अलग किस्म का है। भारतीय संघ अमरीका की तर्ज पर अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों के स्वैच्छिक समझौते से बना एक राज्य नहीं है। न ही यह सोवियत संघ वाले अंदाज में अनेक राष्ट्रों के मिलन से बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। भारत गणराज्य की बुनियाद औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष से पैदा हुई एकजुटता में है। इस गणराज्य की क्षेत्रीय इकाइयों ने वयस्क होने के बाद एक दूसरे से संबंध बनाने का फैसला नहीं लिया। इनकी पैदाइश ही एक साथ हुई।

अब तक हम भारत गणराज्य के स्वधर्म के 3 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। अंतिम कड़ी में यहां हम चौथे सूत्र यानी संघवाद की चर्चा करेंगे, जिसे फैडरलिज्म कहा जाता है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ होगा'। लेकिन अंग्रेजी में इसे 'फैडरेशन' नहीं 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' कहा गया। जाहिर है इस असहजता की पृष्ठभूमि थी देश का बंटवारा, जिसकी परछाई संविधान निर्माण पर देखी जा सकती है। संविधान निर्माता अब किसी और बंटवारे से बचने के लिए केंद्र को खुला हाथ देना चाहते थे। लेकिन 'फैडरेशन' का इस्तेमाल न करने के पीछे यह आग्रह भी रहा होगा कि राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता को बने-बनाए यूरोपीय सांचे में न ढाला जाए। संविधान निर्माता समझ रहे थे कि भारत न तो यूरोपीय अर्थ में एकात्मक या केंद्रीकृत है और न ही अमरीकी अर्थ में संघात्मक। भारत की एकता न तो समरूपता की चाह रखती है, न ही बहुलता का महिमामंडन करती है। 'यूनियन' जैसा ढीला शब्द भारत की इस अनूठी बुनावट को बनाए रखने और हमें अपने रिश्तों को अपने तरीके से परिभाषित करने की आजादी देता है। इस अनुष्ठान में भारत गणराज्य के स्वधर्म का चौथा सूत्र छुपा है। यह एक मूल्य नहीं, बस एक एहसास है, भारत की बुनावट की सहज स्वीकारोक्ति है। यह भाव भारतीय दर्शन में है, इतिहास में है, संस्कृति में है और जनमानस में है। भारतीय दर्शन की विशिष्टता यही है कि इसका नैतिक बोध किसी शाश्वत नियमों से यांत्रिक रूप से बंधा नहीं है। नैतिकता देश, काल और पात्र सापेक्ष है। यह समझ किसी एक दार्शनिक या धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ी। वैदिक काल से लेकर धर्मशास्त्र तक, बौद्ध और जैन दर्शन में, सूफी संतों से दारा शिकोह तक सभी में यह भाव मौजूद है। भाषा चाहे धर्म और विवेक की हो या अनेकान्तवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा अहवाल, इख्तेलाफ, तमीज और मुनासबत की, इन सबने परिस्थिति सापेक्ष नैतिकता की व्याख्या की। इनके लिए विविधता एक मूल्य या आदर्श नहीं था, बल्कि सामाजिक हकीकत थी, जिसे इन्होंने सहज रूप से ग्रहण किया। यही भाव सामाजिक और राजकीय नियम-कानून को एकांगी होने से रोकता है। देशाचार या देश धर्म की अवधारणा इसी भाव की अभिव्यक्ति है। हर इलाके और समुदाय के अपने अलग आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज हैं। सबको एक ही चाल में ढालने की बजाय इस विविधता का सम्मान करना चाहिए। जहां शास्त्र चुप है, वहां सामाजिक मान्यता मर्यादा का स्रोत है। धर्म हमेशा संस्कार का स्रोत नहीं होता। संस्कार भी धर्म का स्रोत हो सकता है। यही विचार सल्तनत और मुगल काल में भी विकसित हुआ। इसके चलते समस्त प्रजा पर शरिया और शाही कानून थोपने की बजाय राज्य के बड़े इलाके और समुदाय के लिए 'उर्फ' यानी स्थानीय तौर-तरीके और सामाजिक मान्यता को स्वीकार किया गया। यह न सिर्फ रणनीति थी, न सिर्फ राजनीतिक दर्शन। यह एक गहरी राजनीतिक समझ थी। यह भाव और समझ भारत गणराज्य की बुनियाद में है। भारतीय राज्य केवल एक आधुनिक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न' राज्य नहीं है। वह तो भारतीय राज्य की ऊपरी परत है। उसके नीचे इतिहास की कई और परतें हैं।

भारत में राजसत्ता कभी भी सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रही। प्राचीन काल में सम्राट चाहे जितना बड़ा हो, उसकी सत्ता सीमित थी। न तो वह कानून का एकमात्र निर्धारक था, न धार्मिक और सामाजिक तौर तरीकों में दखल दे सकता था तथा न ही अविभाजित वफादारी मांग सकता था। राजा की सत्ता समाज की सत्ता के साथ थी, उसके ऊपर नहीं। मुगल राज आने के बाद राज्य की वित्तीय, सैन्य और संस्थागत क्षमता बहुत बढ़ी। लेकिन मुगल बादशाह को भी अपनी संप्रभुता में साझेदारी करनी पड़ती थी- जमींदारों, स्थानीय राजाओं, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ। मुगल साम्राज्य में न तो एक जैसा कानून था, न एक नागरिकता और न ही धार्मिक और सामाजिक मामलों का एकाधिकार। राज्य सत्ता की इस बुनावट पर औपनिवेशिक राज ने आधुनिक राष्ट्र और राज्य की परत बिछाई। इसने हमारे समाज और राजनीतिक सत्ता के स्वरूप में बुनियादी बदलाव किए। बेशक भारत गणराज्य का औपचारिक स्वरूप एक राष्ट्र-राज्य की आधुनिक परिपाटी के मुताबिक चलता है लेकिन व्यवहार में भारतीय सभ्यता की गहरी बुनावट ने आधुनिक राष्ट्र, प्रभुत्व संपन्न राज्य और लोकतांत्रिक राजनीति का रूप रंग बदल दिया है। एकछत्र केंद्रीयकृत प्रभुत्वशाली सत्ता हमारी सभ्यता का मिजाज नहीं है। इसलिए व्यवहार में आधुनिक राज्य की शक्ति हमेशा मर्यादित रही है। अकेंद्रित सत्ता, साझा प्रभुत्व और गठबंधन आधारित शक्ति ही हमारे समाज का स्वधर्म रहा है।

भारतीय संविधान में संघ या यूनियन की अवधारणा को इस रौशनी में देखना उचित होगा। यह यूरोप-अमरीका की काट का फैडरेशन नहीं है। भारतीय संघ में सत्ता का बंटवारा पश्चिमी फैडरेशन से अलग किस्म का है। भारतीय संघ अमरीका की तर्ज पर अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों के स्वैच्छिक समझौते से बना एक राज्य नहीं है। न ही यह सोवियत संघ वाले अंदाज में अनेक राष्ट्रों के मिलन से बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। भारत गणराज्य की बुनियाद औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष से पैदा हुई एकजुटता में है। इस गणराज्य की क्षेत्रीय इकाइयों ने वयस्क होने के बाद एक दूसरे से संबंध बनाने का फैसला नहीं लिया। इनकी पैदाइश ही एक साथ हुई। यहां शक्ति के बंटवारे का मतलब केवल कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बंटवारा नहीं है। सरकार और समाज में सत्ता का बंटवारा हमारा स्वधर्म है। यहां सत्ता के स्थायन दायरे की जरूरत सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच नहीं, बल्कि उसके बहुत नीचे पंचायत और मुहल्ला सरकार तक है। यहां राष्ट्रीय एकता बाकी सब भाषाई और क्षेत्रीय पहचान को खत्म करके नहीं बनती। यहां की तमाम भाषाई संस्कृतियों की पहचान भारत से अलग नहीं है, भारत पर निर्भर भी नहीं है। दरअसल भारत की पहचान इन सब पहचानों को जोड़ कर बनती है। भारतीय संघ की बुनियाद में वर्चस्व को नकारने वाला एक अलिखित समझौता है। केंद्र सरकार, भाषा या सांप्रदायिक लिहाज से बहुसंख्यक समाज या कोई भी सांस्कृतिक समुदाय अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेगा। इसलिए हमारी सभ्यता के मिजाज के खिलाफ जाकर एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता को एकरूपता की तरह परिभाषित करना हमारे स्वधर्म का खिलाफ है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/36882)

एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन

मुरादाबाद ।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन एवं राजकीय, पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन राजकीय पॉलीटेक्निक में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सदस्य विधान परिषद श्री सत्यपाल सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. शैफाली सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस रोजगार मेले में लगभग 50 कम्पनियों एवं लगभग 3000 से अधिक रोजगार के इच्छुक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा विभिन्न प्रतिभागी कम्पनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 1097 अभ्यर्थियों को चयनित/शार्ट लिस्ट किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मा. विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी न केवल भारत अपितु समग्र विश्व की एक प्रमुख समस्या है। हमारा देश विकास के पथ पर बहुत ही तेजी से अग्रसर है। इस प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार हर हाथ को काम देने के लिए कृत संकल्पित है। आज राजकीय पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद के मैदान पर आयोजित किया जा रहा यह वृहद रोजगार मेला इसी दिशा में किया जा रहा एक बेहतर प्रयास है। जो मुरादाबाद के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। युवाओं से अनुरोध है कि वह शुरूआत करें और आगे बढ़े, अपने हुनर को निखार कर कम्पनी की आवश्यकता बने। कार्यक्रम में प्रमुख स्थानीय कम्पनियाँ जैसे पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड, ईवा फाईवर, कॉसमॉस अस्पताल, जीनस पेपर मिल, बजीर चन्द्र प्रा0लि0, सी0एल0 गुप्ता, डिजाइन्को प्रा0लि0, साई अस्पताल, एशियन विवेकानन्द अस्पताल, पुखराज हैल्थ केयर प्रा0लि0 तथा आदि को इस मेले में आमन्त्रित किया गया है। इसी प्रकार मुरादाबाद से बाहर एवं बेहतर रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियाँ जैसे रेलीन सेल्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, महेन्द्रा स्वराज, श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग लिमिटेड, डाइकन ए0सी0, आदि ने प्रतिभाग किया। मा. विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डा0 शैफाली सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी ने कम्पनियों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की उन्होंने साईक्रो मैट्रिक टेस्ट तथा ए.आई. प्रशिक्षण पाण्डाल में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता द्वारा चयनित बबली शर्मा, आरती देवी, हिमांशु, तथा परिवहन विभाग में संविदा परिचालक के रूप में चयनित उमा कुमारी, रश्मि सैनी, कु0 सुजाता यादव, श्रीमति हेमलता, कु0 प्रीति, कृष्ण कुमार एवं वृहद रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों आकृत कुमार, बिट्टू, लक्ष्मी सहित कुल 30 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर/नियुक्ति पत्र वितरित किये गये।

एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू न करने वाले स्कूलों पर हो कार्रवाई

मुरादाबाद। शैक्षिक सत्र 2026-2027 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू न करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ अभिभावकों ने कड़ा रुख अपनाया है।

डीएम से मिले अभिभावक

बुधवार को पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल, मुरादाबाद के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा कि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद जनपद के अधिकांश निजी विद्यालय आगामी सत्र 2026-27 में एनसीईआरटी पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें लागू कर रहे हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और शासन के निर्देशों की अवहेलना हो रही है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि ऐसे सभी विद्यालयों की जांच कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें ही लागू हों। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावक व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान अनुज गुप्ता एडवोकेट, अंकित अग्रवाल एडवोकेट, राजदीप गोयल एडवोकेट आदि मौजूद रहे।

हस्तशिल्प एक्सपो का हुआ आगाज़

मुरादाबाद। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर (एमएचएससी) में बुधवार को हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट्स) एक्सपो का आगाज हुआ। शिल्पकारों के हाथों तैयार मेटल के अनूठे उत्पादों का भव्य प्रदर्शन ने पहले दिन यहां पहुंचे सभी लोगों को देखते ही आकर्षित किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसीएच) के तत्वावधान में पांच दिवसीय हस्तशिल्प एक्सपो का उद्घाटन ईपीसीएच के चेयरमैन डॉ.नीरज खन्ना, कार्यकारी निदेशक राजेश रावत, सीओए सदस्य नवेदउर्रहमान, सलमान आजम, ईपीसीएच के मुरादाबाद प्रभारी राहुल रंजन, एमएचएससी के महाप्रबंधक डॉ.रविंद्र कुमार शर्मा, पदमश्री प्राप्त शिल्पकारों समेत कई गणमान्य हस्तियों ने किया।जीएम डॉ.रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि हस्तशिल्प एक्सपो के माध्यम से शिल्पकारों के मजबूत भविष्य की नींव रखने की पहल हुई है। हस्तशिल्प एक्सपो एक मार्च तक चलेगा। आयोजन के दौरान प्रत्येक दिन पूर्वान्ह 11 बजे से रात नौ बजे तक हस्तशिल्प के नायाब उत्पादों को देखा और खरीदा जा सकेगा। पदमश्री दिलशाद हुसैन, बाबूराम यादव, चिरंजीलाल यादव, महावीर सिंह समेत कई पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों के हाथों तैयार हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन एक्सपो में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई से भड़के कांग्रेसी

मुरादाबाद।

महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के खिलाफ कथित दमनकारी कार्रवाई तथा दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मांगों के समर्थन में डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। ज्ञापन कमेटी अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम (बंटी) के नेतृत्व में सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म की प्रमुख पीठ 'योतिर्मठ के शंकराचार्य के साथ हाल की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती हैं। समिति के अनुसार, कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य और उनके अनुयायियों को पवित्र स्नान करने से रोका गया। इसे भारतीय

संविधान के अनच्छेद 25 और 26 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। कमेटी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने शंकराचार्य के साथ आए छात्रों और शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। ज्ञापन में स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों पर भी

प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने एफआईआर की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करते हुए इसकी जांच किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से कराने की मांग की है। कमेटी ने शिकायतकर्ताओं की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम के संभावित कारणों की भी गहन जांच की मांग की है। कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में पारदर्शी जांच नहीं कराई गई और कथित उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो आन्दोलन किया जायेगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता, महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम बंटी, असलम खुर्शीद, अनूप दुबे, हाजी अमीरूल हसन जाफरी, महबूब अली, अफजल साबरी, मौहम्मद अब्बास, मौअज्जम अली आदि मौजूद रहे।

टीएमयू की मोबाइल डेंटल वैन ने सामाजिक सरोकार को बढ़ाए हाथ

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, के तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का भी सामाजिक सरोकार से गहरा नाता है। न केवल डेंटल कॉलेज कैंपस में समय-समय पर कैंप लगाता है, बल्कि अति आधुनिक मोबाइल डेंटल वैन के जरिए घर बैठे सीनियर सिटीजंस से लेकर ग्रामीणों के दांतों की प्राथमिक चिकित्सा करता है। यह मोबाइल डेंटल वैन मुरादाबाद के वैदिक वानप्रस्थ आश्रम पहुंची, जहां करीब दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का निःशुल्क दंत जांच और इलाज किया गया। मोबाइल डेंटल वैन में डेंटल स्टुडेंट्स ने दांतों की सफाई- स्केलिंग, अस्थायी फिलिंग, दर्द निवारण उपचार, मुख के घावों

की जांच और कृत्रिम दांतों- डेंचर संबंधी परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही सभी को सही ब्रशिंग तकनीक, दंत स्व'छता के उपाय एवम् संतुलित आहार संबंधी जानकारी दी गई। जिन मरीजों को विशेष उपचार की आवश्यकता थी, उन्हें कॉलेज में आगे की जांच एवम् उपचार हेतु संदर्भित किया गया। चलने-फिरने में असमर्थ जो वृद्धजन अस्पताल नहीं जा पाते थे, उन्हें मोबाइल डेंटल वैन- आपके द्वार का लाभ मिला। उल्लेखनीय है, चांसलर श्री सुरेश जैन ने सपरिवार जनवरी में इस नवीन

वैदिक वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचकर किया वृद्धों के दांतों का परीक्षण

मोबाइल दंत बस इकाई की शुरुआत की थी। इससे पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के एचओडी एवम् प्राचार्य प्रो. प्रदीप तांगड़े, वाइस प्रिंसिपल डॉ. अंकिता जैन, प्रो. विकास सिंह, डॉ. उपेंद्र मलिक की उपस्थिति में वैन को रवाना किया गया। शिविर में एमडीएस स्टुडेंट्स- डॉ. स्वयं त्रिपाठी, डॉ. जेनिफर, डॉ. अनुष्का भारद्वाज, डॉ. रितिका शर्मा, डॉ. शुभम मुखर्जी, डॉ. तुलिका सक्सेना आदि उपस्थित रहे। बीडीएस स्टुडेंट्स- साहिल, युवराज, ख्याति, आदित्यराज आदि ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

अविमुक्तेश्वरा नंद प्रकरण-कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

- कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन
- शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच की मांग

फतेहपुर।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरा नंद के ऊपर यौन उत्पीड़न को लेकर न्यायालय के आदेश पर हुई एफआईआर से आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की कि शिकायतकर्ता अश्वनी सिंह उर्फ आशुतोष पाण्डेय पुत्र रवींद्र सिंह की पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन शंकराचार्य की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन पर हुई एफआईआर को वापस लिया जाए। जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि शंकराचार्य मामले में भाजपा अपनी कार्यशैली से पूरी तरह नंगी हो गई है आज जिस प्रकार से सनातन धर्म पर आघात किया गया है उसे देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि भाजपा द्वारा अब भाई-भाई को लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य एक पूज्यनीय पद पर आसीन सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं उनके साथ ऐसी अशोभनीय कार्यवाही बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेस इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका के साथ खड़ी है एवं न्याय के लिए संघर्ष की हर सीमा तक जाएगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्यरूप से सन्तोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट, सुधाकर अवस्थी, आशीष गौड़ एडवोकेट, माधुरी रावत,रंजीत मौर्य एडवोकेट, मणि प्रकाश दुबे एडवोकेट, देवी प्रकाश दुबे, पंडित राम नरेश महराज, राजीव लोचन निषाद, आरिफ खान,आदित्य श्रीवास्तव एडवोकेट, अमर नाथ कैथल, विवेक मिश्रा, राजेंद्र लोधी, मनोज घायल, नरेंद्र सिंह रिंकी सरदार, पप्पी राजपूत, पूनम द्विवेदी, कल्लू कोरी, कौशल कुमार शुक्ला, शकीला बानो, निजामुद्दीन, सब्बीर अहमद, उस्मान खान, निशा गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, हम्माद हुसैन आदि सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे।

न्यायिक अफसरों ने परखीं नारी निकेतन एवं वन स्टॉप सेन्टर की व्यवस्थाएं

मुरादाबाद।

महिलाओं, बच्चों और किशोरों को सुरक्षित व सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुरादाबाद में न्यायिक अधिकारियों की समिति ने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। जिला न्यायाधीश सै. माऊज़ बिन आसिम के दिशा निर्देशन में अपर जिला जज श्रीमती चंचल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) सर्वेश कुमार मिश्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तपस्या त्रिपाठी, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय सुश्री राबिन्स अलका ने संयुक्त रूप से नारी निकेतन, चाइल्ड लाइन एवं वन स्टॉप सेन्टर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने अधीक्षिका से संस्था के कार्यों के विषय पर जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये। इसके बाद अभिलेखों को मंगाकर देखा गया। न्यायिक अधिकारियों ने निकेतन में रह रही बालिकाओं से बात की और

व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बालिकाओं के साथ वे उनके कमरे में गये और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वन स्टाप सेंटर के निरीक्षण दौरान सेंटर पर कोई भी बालिका या महिला आवासित नहीं पाई गई। स्टाफ नर्स ने बताया कि कुल तीन महिलाएं व बच्चियां सेंटर पर आवासित हैं, जो सुबह चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल के लिए महिला आरक्षी द्वारा ले जाई गई हैं। चाइल्ड लाइन के निरीक्षण दौरान संस्था की कोर्डिनेटर तबस्सुम उपस्थित मिली, न्यायिक अधिकारियों ने संस्था की कोर्डिनेटर से चाइल्ड लाइन के कार्यों के विषय पर जानकारी की गयी और कोर्डिनेटर को चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के प्रचार प्रसार के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। ताकि बच्चों को हर संकट से बचाया जा सके। उन्होंने बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा। कहा कि सभी अस्पताल, विद्यालय, पंचायत घर, धार्मिक स्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और सार्वजनिक स्थानों में 1098 का प्रचार प्रसार अवश्य किया जाना चाहिये।

क्या एसआईआर में 10वीं का एडमिट कार्ड होगा मान्य? पहचान पर खत्म हुआ भ्रम, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहचान सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। अदालत ने कहा है कि कक्षा 10 का एडमिट कार्ड, यदि पास प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो इसे सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए अहम है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू द्वारा उठाई गई शंका के बाद दिया। वकील ने पूछा था कि क्या 10वीं का एडमिट कार्ड अकेले पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल सहायक दस्तावेज होगा, अकेला पहचान पत्र नहीं। अदालत ने अपने 24 फरवरी 2026 के आदेश में कहा कि जो दस्तावेज अब तक अपलोड नहीं हुए हैं और 15 फरवरी से पहले प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कल शाम 5 बजे तक संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सौंपें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि माध्यमिक यानी कक्षा 10 का एडमिट कार्ड, पास प्रमाणपत्र के साथ जन्मतिथि और अभिभावक संबंध साबित करने के लिए दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि 80 लाख दावों और आपत्तियों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के 250 जिला जजों के अलावा सिविल जजों को भी लगाया जा सकता है। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल के 22 फरवरी के पत्र पर ध्यान दिया। पत्र में कहा गया था कि 250 जिला जज भी यदि रोज 250 मामले निपटाएं, तो पूरी प्रक्रिया में करीब 80 दिन लगेंगे। जबकि स्क्रूटनी की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय है। पीठ ने अनुमति दी कि कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी के सिविल जजों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि झारखंड और ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से समान स्तर के न्यायिक अधिकारियों की मांग करें, ताकि कार्य तेजी से पूरा हो सके। एसआईआर प्रक्रिया में तार्किक विसंगति और अनमैप्ड श्रेणी के तहत नामों की जांच की जा रही है। इनमें 2002 की मतदाता सूची से अभिभावक का नाम न मिलना, या मतदाता और अभिभावक की उम्र में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर जैसे मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे।

शंकराचार्य बोले- हिंदुत्व खतरे में है

सिर्फ ड्रेस पहनकर खुद को हिंदू बता रहे; प्रयागराज पुलिस ने काशी में डेरा जमाया

वाराणसी । शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिन से वाराणसी में डेरा डाले है। पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी तक आश्रम नहीं पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, प्रयागराज पुलिस फिलहाल शंकराचार्य से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। मामला हाई-प्रोफाइल होने से पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। माना जा रहा है, पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद ही पुलिस शंकराचार्य या उनके शिष्यों से पूछताछ करेगी। उधर, बुधवार को शंकराचार्य ने एक बार फिर मीडिया से बात की। कहा- हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार-बार हिंदू-हिंदू कहेंगे, तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुस आए ऐसे लोगों से खतरा है, जो वास्तव में हिंदू नहीं हैं। दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। उन्होंने कहा- एक-डेढ़ महीने से कहा जा रहा है कि और भी छात्रों का यौन शोषण हुआ है। अगर ऐसा है, तो बाकी लोगों को क्यों बचाकर रखा गया है? अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और सिर्फ दो लोगों से मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे साजिश है। जब उन्हें मुफीद होगा, तब उन्हें पेश किया जाएगा।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेनः हरियाणा में रनिंग ट्रायल सफल, 70 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी रेलगाड़ी

जींद ।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का बुधवार को ट्रायल शुरू हुआ। ट्रेन का जींद रेलवे स्टेशन से ललितखेड़ा स्टेशन तक करीब 20 किलोमीटर तक सफल ट्रायल हुआ। इसके बाद डीजल इंजन लगाकर ट्रेन को मोहाना स्टेशन तक ले जाया गया। रेलवे अधिकारियों ने ट्रायल को संतोषजनक बताया है। हाइड्रोजन ट्रेन को बुधवार की सुबह 7 बजे यार्ड से बाहर निकाला गया। डीजल इंजन की सहायता से पहले ट्रेन को हांसी रोड पुल के नीचे लाया गया। यहां ट्रेन थोड़ी देर रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। यहां से सुबह 8:25 बजे ट्रेन सोनीपत की ओर रवाना हुई। सुबह 8:40 बजे बजे डीजल इंजन की मदद से ट्रेन पिंडारा तक लाई गई। यहां से डीजल इंजन हटाकर ललितखेड़ा तक हाइड्रोजन इंजन से ट्रेन का रनिंग ट्रायल हुआ। दोनों स्टेशनों के बीच दो बार ट्रेन को चलाया गया। इस दौरान ट्रेन की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। पिंडारा पहुंचने के बाद मोहाना से आगे मोहाना तक डीजल इंजन के साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन को ले जाया गया।

फिर मोहाना से वापस जींद की तरफ ट्रेन को लाया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी टीम ने बारीकी से निगरानी की। ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। भंभेवा स्टेशन पहुंचने के बाद विशेषज्ञों ने इंजन और कोच का तकनीकी निरीक्षण भी किया। बताया जा रहा है कि सभी मानक संतोषजनक पाए जाने पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेन को नियमित रूप से ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा । ट्रायल के अगले चरण में ट्रेन को सोनीपत तक चलाया जाएगा। अगले तीन-चार दिनों तक अलग-अलग समय पर परीक्षण जारी रहेगा।

इस दौरान ट्रेन की अधिकतम रफ्तार, ईंधन खपत, सिग्नल सिस्टम के साथ तालमेल और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी है। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित है, जो ट्रेन को बिना डीजल या ओवरहेड वायर के बिजली से चलाती है।

भारतीय राजनीति की महिला गजनी, प्रियंका गांधी के गाजा वाले बयान पर भाजपा का तीखा पलटवार

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय इजराइल यात्रा को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा गाजा में नरसंहार का मुद्दा उठाए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन पर बेहद कड़ा हमला बोला है। भाजपा ने प्रियंका गांधी को ''भारतीय राजनीति की महिला गजनी'' करार देते हुए उन पर सुविधाजनक आक्रोश व्यक्त करने का आरोप लगाया है। 'महिला गजनी' का यह संदर्भ 2008 की हिंदी फिल्म 'गजनी' के एक पात्र से प्रेरित है जिसकी याददाश्त बार-बार चली जाती है और उसे सिर्फ कुछ देर की बातें याद रहती हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी को गाजा में मानवीय संकट दिखता है लेकिन वह इजराइल में सात अक्टूबर के हमलों को भूल गई हैं। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजराइल की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले उन पर निशाना साधा और उम्मीद जताई कि वह इजराइल की संसद 'नेसेट' को संबोधित करते हुए गाजा में हुए 'नरसंहार' का जिक्र करेंगे और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेंगे। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि भारत को निश्चित रूप से दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना होगा। प्रियंका की इन टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 'एक्स' पर लिखा, ''भारतीय राजनीति की 'महिला गजनी' वापस आ गई हैं!'' भाटिया ने कांग्रेस नेता की एक पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें वह 'फलस्तीन' लिखा हुआ बैग लिए खड़ी हैं। उन्होंने कहा, ''संसद में 'फलस्तीन' लिखा हुआ बैग ले जाना तो आसान है लेकिन सात अक्टूबर को 1,200 से अधिक निर्दोष लोगों के नरसंहार, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की निंदा करने का नैतिक साहस दिखाना प्रियंका गांधी के लिए स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है।'' भाटिया ने कहा कि ऐसे कृत्यों की निंदा करने के लिए बहुत नैतिक साहस की आवश्यकता होती है और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है। उन्होंने कहा, ''आप भले ही गांधी उपनाम का इस्तेमाल करती हों, लेकिन आपमें दृढ़ विश्वास और साहस की कमी है।''

मोदी की इजराइल यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और व्यापार सहयोग को मजबूत करना है। नौ वर्षों में यह उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा है।

गांधी परिवार ने किया देश के साथ समझौता, पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

नई दिल्ली।

एआई समिट की प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र किया। पीयूष गोयल ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि किस तरह गांधी परिवार समझौता करने वाली राजनीति का उदाहरण रहा है। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी लगातार देशहित से समझौता करती रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का इतिहास हो या वर्तमान या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामले, इन सभी से संकेत मिलते हैं कि पार्टी विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्रहित से समझौता करती रही है। इस तरह की राजनीति देश और देशवासियों के उज्जवल भविष्य को नुकसान पहुंचाती है और इसके अनेक उदाहरण जनता के सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी सोरोस तो कभी पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर अपने ही देश के खिलाफ रुख अपनाते नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और वह विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करते दिखाई देते हैं। गोयल ने राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति के पोस्टर ब्वॉय बताते हुए कहा कि वह 247 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं और कई बार प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र लद्दाख में राहुल गांधी ऐसे विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में रहे जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं। बोफोर्स मामले का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि एक मित्र ओटावियो को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच नहीं होने दी गई और गांधी परिवार ने देश से समझौता किया। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में भी कांग्रेस पर विदेशी एजेंसियों के प्रभाव के आरोप लगते रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, परिवार के कई नेताओं पर देशहित से समझौते के आरोप लगे। उन्होंने 1971 के शिमला समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि 93 हजार पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने यह भी कहा कि 1954 में नेहरू ने तिब्बत में भारत के अधिकार छोड़ दिए थे, जो एक और बड़ा समझौता था। उन्होंने दावा किया कि नेहरू-गांधी परिवार की राजनीति हमेशा से देशहित के साथ समझौते की रही है।

वरमाला के दौरान दुल्हन को युवक ने मारी गोली

बक्सर । बिहार के बक्सर में वरमाला के दौरान स्टेज पर दुल्हन को उसके प्रेमी ने गोली मारी और वहां से फरार हो गया। दुल्हन को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। यहां उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। घटना मंगलवार रात की है। दुल्हन ने बताया कि उसे दो-बंधु ने गोली मारी है। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के नगर चौसा पंचायत के मल्लाह टोला की है। परिवार का कहना है कि युवक उनकी बेटी से एकतरफा प्यार करता है। बेटी की शादी यूपी के बलिया में तय की थी।

ममता की बंगाला मांग को उमर अब्दुल्ला का समर्थन, पूछा- केरल बदले तो बंगाल क्यों नहीं?

श्रीनगर।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर राज्य विधानसभा ऐसा कोई प्रस्ताव रखती है, तो केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दिए जाने का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल से इसके अंतर पर सवाल उठाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने (ममता बनर्जी) यह मांग की है, तो केंद्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर केरल का नाम बदला जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल का नाम क्यों नहीं?

उन्होंने आगे कहा कि अगर कल जम्मू और कश्मीर विधानसभा राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखती है, तो केंद्र को उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

यह घटना मंगलवार को तब सामने आई जब बनर्जी ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल राज्य का भी अपना नाम बदलकर बांग्ला रखने का प्रस्ताव है, जबकि उन्होंने केरल को उसके नए नाम केरलम के लिए बधाई दी।

टीएमसी की एक पोस्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बांग्ला विरोधी है और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य की विरासत और भाषा का सम्मान नहीं करते। टीएमसी ने लिखा कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने की मंजूरी पर केरल के लोगों को हार्दिक बधाई दी।

साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने का ऐसा ही प्रस्ताव वर्षों से दबा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वैध मांग को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि राय ने भाजपा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि हर चुनाव के मौसम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारे लोगों से प्यार करने का दिखावा करते हैं। यह नाटक बंद करो। इन बांग्ला-विरोधियों को हमारी विरासत के लिए कोई सम्मान नहीं, हमारी भाषा के लिए कोई आदर नहीं, हमारे आदर्शों के लिए कोई सम्मान नहीं और हमारी गरिमा के लिए कोई चिंता नहीं।

जब कोई राय अपनी पहचान का दावा करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन बंगाल इस प्रतिशोधी भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल की जायज मांग को सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हम भाजपा के उच्च कमान के सामने झुकने से इनकार करते हैं।

मोदी को इजराइली संसद का सर्वोच्च सम्मान

पीएम ने हमास हमले की निंदा की, कहा- आपका दर्द समझते हैं; नेतन्याहू बोले- मोदी एशिया के शेर

तेल अवीव । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' दिया गया। नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, हम आपके दर्द को समझते हैं, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा, 'मोदी मेरे भाई जैसे है, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है।' उन्होंने मोदी को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। संसद पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए।

मोदी के संबोधन की 8 बड़ी बातें

- **पीएम मोदी बोले- हमास हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना, गाजा शांति पहल को भारत का समर्थन**
- **इजाइली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने मोदी, स्पीकर ऑफ द नेसेट सम्मान से नवाजे गए**

इजराइली संसद में बोलना सम्मान- इजराइली संसद के सामने खड़े होकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं एक प्राचीन सभ्यता भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं।

140 करोड़ भारतीयों का संदेश लेकर आया हूं- 140 करोड़ भारतीयों की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और मजबूत साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं।

भारत में यहूदी हमेशा सुरक्षित रहे- गर्व से कह सकता हूं कि भारत में यहूदी समुदाय बिना किसी डर, भेदभाव या उत्पीड़न के साथ रहा है। उन्होंने अपनी आस्था को सुरक्षित रखा और समाज में पूरी भागीदारी की।

भारत-इजराइल में 2 हजार साल पुराने रिश्ते- भारत और इजराइल का रिश्ता 2 हजार साल से भी पुराना है। बुक ऑफ एस्तेर में भारत का जिक्र मिलता है और तलमुद में हमारे व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है।

फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया- फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस क्षेत्र में 4 हजार से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था। हमारा रिश्ता खून और त्याग से भी जुड़ा है।

आतंकवाद कभी सही नहीं- किसी भी कारण से आम नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद कभी भी जायज नहीं है। भारत ने भी आतंकवाद का दर्द झेला है, इसलिए हमारी नीति स्पष्ट और सख्त है।

गाजा पहल का समर्थन- इस्ट समर्थित गाजा शांति पहल का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह पहल क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति ला सकती है। भारत बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके साथ खड़ा है।

नेतन्याहू के संबोधन की 5 बड़ी बातें

भारत में यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ- भारत एक ऐसी सभ्यता है, जहां यहूदियों को कभी सताया नहीं गया। भारत का धन्यवाद, वहां यहूदी समुदाय का हमेशा स्वागत और सम्मान किया गया।

भारत-इजरायल रिश्ते बेहद खास और मजबूत- दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं। भारत और इजराइल का गठबंधन दोनों देशों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है।

%मोदी हग' सच्ची दोस्ती का प्रतीक- 'मोदी हग' दुनिया भर में मशहूर है और यह औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते की निशानी है।साझेदारी से कई गुना बढ़ी ताकत- दोनों देशों ने मिलकर व्यापार दोगुना, सहयोग तीन गुना और आपसी समझ चार गुना बढ़ाई है। यह गठबंधन दोनों देशों की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है।

मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई बताया- मोदी मेरे ग्रेट फ्रेंड और विश्व मंच के बड़े नेता हैं। मैं मोदी को सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि भाई जैसा मानता हूं। पीएम मोदी एशिया के शेर हैं।